12.14 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Disposal of large number of pending cases in Courts, particularly in Patna

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, देश के न्यायालयों में विशेष रूप से उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में दिन प्रति दिन लम्बित मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि अत्यधिक चिन्ता का विषय बन गया है। इस विषय में स्थिति की गम्भीरता का पता इस बात से चल सकता है कि उच्च न्यायालय में 3 वर्ष पुराने मामलों की संख्या लगभग 2,20,000 उच्चतम न्यायालय में करीब 10,000 और अकेले पटना उच्च न्यायालय में मामलों की संख्या लगभग 14,000 है। न्याय के निर्णय में अनावश्यक विलम्ब से "न्याय में विलम्ब होना न्याय न मिलना" की उक्ति शब्दशः चरितार्थ होती है। अनेक ऐसे मामले सामने आए हैं कि प्रतिवादी की मृत्यु के बाद मामले सुनवाई के लिए आते हैं। साथ ही यदि मामला 10, 15 अथवा 20 वर्ष के बाद लिया जाता है तो इतने लम्बे समय के बाद साक्ष्य का कोई मूल्य अथवा महत्व नहीं रह जाता है। न्याय प्रशासन में स्थगन आदेश एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि एक ही प्रकार के मामले में भिन्न-भिन्न निर्णय दिए जाते हैं यहां तक कि वही मामला जहां एक पीठ द्वारा अस्वीकृत किया जाता है वहां दूसरी पीठ द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा एक ही प्रकार के अपराधों में सजा भी भिन्न-भिन्न होती है।

न्यायालय में पड़े इन मामलों का स्वरूप एवं समस्या यह है कि इन मामलों की संख्या बहुत अधिक ही नहीं बल्कि ये मामले बहुत पुराने भी हैं। साथ ही चिन्ता का विषय यह है कि वर्तमान स्थिति में निर्धन न्याय से वंचित रह जाते हैं और धनी इसका अनुचित लाभ उठाते हैं। यही स्थिति बनी रही तो जनता का न्याय से विश्वास हट जायेगा और लोकतन्त्र की जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी।

मामलों का इतनी बड़ी संख्या में लम्बित पड़े रहने का कारण देश में न्यायाधीशों की कमी तथा न्याय के निर्णय में विलम्ब होना है। न्यायालयों का दीर्घकालीन अवकाश भी काफी हद तक इन मामलों में वृद्धि का कारण है। न्याय प्रक्रिया के बहुत खर्चीला होने के कारण एक ओर गरीब अपने मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने की क्षमता नहीं रखते, दूसरी ओर धनी धन के बल पर अपने मामलों को लम्बी अवधि तक खींचते रहते हैं।

इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए अब समय आ गया है कि कानून और कानून की प्रक्रिया को देश की सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए जिससे समाज का सामाजिक और आर्थिक कल्याण सम्भव हो सके।

अभी हाल ही में कानून मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें भी कई उपाय सुझाये गये हैं। जो सुझाव इस सम्मेलन में दिये गये थे उनपर शीघ्रातिशीघ्र विचार किए जाने की आवश्यकता है।

मुझे आशा है कि सरकार इस समस्या की गम्भीरता पर शीघ्र विचार करेगी और उसके समाधान के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी।

...(व्यवधान)...

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : अध्यक्ष महोदय, "प्रिया मैंगोज" मेरठ की यह कम्पनी है, इसने डैलीब्रेटली कुरान-शरीफ की आयतों पर अपने एडवरटाइजमेंट छापे हैं। इससे मेरठ-मुरादाबाद में काम्यूनल राइट्स हो सकते हैं। मैंने आपको एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है।

شری رشید مسعود: ادھیکش مہودے "پریا مینگوز" میرٹھ کی یہ کمپنی ہے، اس نے ڈیلیبریٹلی قرآن شریف کی آیتوں پر اپنے ایڈورٹیزمنٹ چھاپے ہیں۔ اس سے میرٹھ مرادآباد میں کمیونل رائٹس ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایڈجورنمنٹ موشن دیا ہے

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात जानता हूं, आपने जो मामला उठाया है,